Govt. J.M.C. Mahila Mahavidyalaya, Mandla, Madhya Pradesh

AISHE Code: C-33429

Accredited: Grade 'B' by NAAC

Phone: 07642-252536 **E-Mail: hegjcgcman@mp.gov.in**

Website: https://gjmcgirlscollegemandla.in/

College Joining Letters of the Faculty Members

Index

Sr. No.	Name of the Particular	Page No.
1	Dr. S.N. Khare	1-2
2	Dr. Aradhana Dubey	3
3	Dr. S.P. Dhumketi	4-5
4	Dr. Anjli Pandya	6-8
5	Dr. Anju Singh	9
6	Dr. Pradeep Kumar Soni	10
7	Mr. Rupesh Bhade	11

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/52 /87/र-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-र-6-30-86-एक(1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक इतिहास ---------- विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0 60- श्री शरद नारायण खरे आत्मज श्री एन0के0 खरे (शासकीय महाविद्यालय, मण्डला)	25-9-1961	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मण्डला

Received one copy
Sd/-
7.5.87
(S.N. Khare)
A.P. Hist.

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि [मास्टर्स डिग्री] के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि [यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है] प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

[जी०पी०तिवारी]
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/52 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 17 MAR 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल [10 प्रतियों में]
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

[पी०एस०मरहास]
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

प्रति,

प्राचार्य

शा० कन्या महाविद्यालय

मंडला

विषय — कार्यभार ग्रहण करने बावद् ।

संदर्भ — प्र.क्र. म0श्र/21/मुं/आउवि/स्था-5/05 भोपाल 3.3.05

आदरणीय मैडम

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार मेरा शा. कन्या महाविद्यालय सीधी किया गया स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया है।

शा. कन्या महाविद्यालय सीधी के प्र.क्र./703/स्था./2005 सीधी दि. 9/3/05 द्वारा मुझे 9/3/05 को अपरान्ह शा. कन्या महाविद्यालय मंडला में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया ~~जाता~~ गया है।

अतः आज दि. 10/3/05 को अपरान्ह मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया।

विनीत

[signature]

10/3/05

आराधना दुबे

शा. कन्या महावि.

[signature] 10/3/05

(6)

AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA (M.P.)

No./Acad./shodh/2013/ 1590

Rewa ,Date:- 30-5-13

NOTIFICATION

As per Ordinance No. 30. and in exercise of the powers confered under Section 15 (4) of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 Hon'ble Vice- Chancellor has been pleased to approve the Reports of Examiners on the following Thesis on behalf of the Executive Council for award of the Ph.D. Degree of the University under the Subject/Faculty and guidance detailed hereunder-

s.n.	Name of thecandidate (s)	Registration No.	Subject&Faculty	Title of the Thesis	Name & Address of the Supervisor	Date of Vivavoce Examination	Date of approval the Kulp.
1.	श्री खगेश नाथ गर्ग	40/2007	प्रा.भा.इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व / समाजविज्ञान	"शिल्प एवं साहित्य में सूर्य–एक अध्ययन"(विन्ध्य क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)	डॉ. महेश चन्द्र श्रीवास्तव, प्राध्यापक प्रा.भा.इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा (म.प्र.)	06.5.2013	17.5.20
2	श्री प्रदीप कुमार सेन	126/2008	इतिहास / समाजविज्ञान	"ओरछा एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल"	डॉ.संतोष सिंह चौहान,विभागाध्यक्ष इतिहास,संजय गांधी स्मृतिशास.महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)	06.5.2013	21.5.20
3.	कु. अंजू गुप्ता	138/2007	हिन्दी / कला	"भारतीय पुराकथाओं की कालजयी चेतना नरेन्द्र कोहली के उपन्यास साहित्य के संदर्भ में "	डॉ. रामलला शर्मा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी ,शास. संजयगांधी स्मृति महाविद्यालय,सीधी (म.प्र.)	10.5.2013	21.5.20
4	श्री अखिल कुमार शुक्ला	70/2008	शिक्षा / शिक्षा	"मध्यप्रदेश में आरक्षण नीति एवं शैक्षिक योजनाओं का महाविद्यालयों में क्रियान्वयन एवं प्रभाव(रीवा संभाग के विशेष	डॉ. सी.एम.तिवारी,सहायक प्राध्यापक,अर्थशास्त्र,शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,सतना (म.प्र.)	15.5.2013	21.5.20

(66)

				संदर्भ में)"			
5.	श्री सुदामा प्रसाद धूमकेती	55/2003	हिन्दी / कला	"20वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों का हिन्दी उपन्यास साहित्य : वैचारिक अवधारणा और मानवीय संवेदना का अनुशीलन"	डॉ. अशोक कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शास. इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)	15.5.2013	21.5.2013
[illegible]	श्री पवन कुमार सिंह	114/2005	हिन्दी / कला	"भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में स्त्री चेतना (सूरदास एवं मीरा बाई के विशेष संदर्भ में)"	डॉ. प्रतिमा चतुर्वेदी सेवानिवृत्त प्राचार्य हिन्दी, पुष्पराज नगर, रीवा (म.प्र.)	04.5.2013	21.5.2013

In View of the above approval the candidates concerned are hereby Awarded the Degree of Doctor of Philosophy

Registrar

पृष्ठांकन क्रमांक/अकादमिक/शोध/2013/ 1590

रीवा दिनांकः- 30-5-13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. श्री खगेश नाथ गर्ग आत्मज श्री रामचरण गर्ग मिडिल स्कूल के पीछे निपनिया रीवा (म.प्र.)
2. डॉ. महेश चन्द्र श्रीवास्तव, प्राध्यापक प्रा.भा.इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
3. श्री प्रदीप कुमार सेन आत्मज श्री बेनी प्रसाद सेन उषा कुंज सागर गेट के पास, ग्राम वार्ड रीवा (म.प्र.)
4. डॉ. संतोष सिंह चौहान, विभागाध्यक्ष, इतिहास, संजय गांधी स्मृतिशास.महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)
5. श्रीमती अंजू गुप्ता पत्नी श्री रामनिवास गुप्ता मेन रोड, सराफा बाजार, सीधी (म.प्र.)
6. डॉ. रामलला शर्मा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी, शास.संजयगांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
7. श्री अनिल कुमार शुक्ला आत्मज श्री अमरनाथ शुक्ला ग्राम-पोस्ट पसना कोरॉव इलाहाबाद (उ.प्र.)
8. डॉ. सी.एम.तिवारी, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
9. श्री सुदामा प्रसाद धूमकेती आत्मज श्री अमर सिंह धूमकेती ग्राम.तुलसी.महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.)
10. डॉ. अशोक कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, शास.इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)
11. श्री पवन कुमार सिंह आत्मज श्री संगम लाल सिंह ग्राम पोस्ट कोटवा तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)
12. डॉ. प्रतिमा चतुर्वेदी सेवानिवृत्त प्राचार्य हिन्दी, पुष्पराज नगर, रीवा (म.प्र.)
13. The Secretary Univversity Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Margin New Delhi-110002
14. All Heads, Administrative Office, UTD's A.P.S.University, Rewa (M.P.)
15. The Director, Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Revindra Nath Taore Marg. Bhopal for Publicatiorn the "Rachana"

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 19.12.03

कमांक एफ–1/203/2003/1/अडतीस– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि आपाती रूप से नियुक्त सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के सहायक प्राध्यापकों को नियमितीकरण के लिये मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 की तृतीय अनुसूची में सहायक प्राध्यापकों के सबंध में कालम 5 एवं 6 के प्रावधानों को शिथिल (आयु एवं शैक्षणिक योग्यता में) करते हुए उन्हें दिनांक 24.12.98 से नियमित किया जाता है एवं नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

कमांक	नाम विषय एवं महाविद्यालय का नाम जहा पदस्थ हैं	महा. का नाम जहां पदस्थ किया जाता हैं।
राजनीति शास्त्र		
1	श्री आदित्य प्रकाश पाण्डे, शा.हमीदिया महा. भोपाल।	शा.हमीदिया महा. भोपाल।
2	श्रीमती मंजु शर्मा, शा.महा. ओबेदुल्लागंज।	शा.महा. ओबेदुल्लागंज।
3	श्रीमती सीमा तिवारी (मिश्रा), शा.महा. बालाघाट।	शा.महा.बालाघाट।
4	श्रीमती किरण राठौर, शा.के.पी.महा. देवास।	शा.के.पी.महा. देवास।
5	श्रीमती कल्पना शर्मा, शा.महा.ब्यावरा, राजगढ।	शा.महा.ब्यावरा, राजगढ।
6	श्रीमती अंजली पंण्डया, शा.महा. मण्डला।	शा.महा. मण्डला।
7	श्री आर.के.पाण्डे, शा.महा.मैहर।	शा.महा. मण्डला।
8	श्रीमती आभा तिवारी, शा.महा.नीमच।	शा.महा.नीमच।
9	श्री आलोक कुमार राय, शा. महा.रायसेन।	शा. महा.रायसेन।
10	श्री अनिल कुमार जैन, शा.कन्या महा. रतलाम।	शा.कन्या महा. रतलाम।
11	श्रीमती गीता दुबे, शा.महा.छतरपुर।	शा.महा.छतरपुर।
12	श्रीमती मधुबाला अग्रवाल, शा.महा.मक्सी।	शा.महा.मक्सी।
13	श्रीमती प्रतिभा जैन, शा. कला/वाणिज्य महा. सागर।	शा. कला/वाणिज्य महा. सागर।
14	श्री राजेन्द्र कुमार मराठा, शा. महा. कन्नौद।	शा. महा. कन्नौद।
15	श्रीमती संध्या राय, शा.महा.बैरसिया।	शा.महा.बैरसिया।

क्रमांक	नाम विषय एवं महाविद्यालय का नाम जहॉ पदस्थ हैं	महा.का नाम जहा पदस्थ किया जाता है
16	श्रीमती सरिता अग्रवाल, शा. महा. मन्दसौर।	शा. महा. मन्दसौर।
17	श्रीमती सीमा पाठक, शा.सरोजनी कन्या महा. भोपाल।	शा.सरोजनी कन्या महा. भोपाल।
18	श्रीमती सुधा सिंह, शा.के.आर.जी. महा. ग्वाालियर।	शा.के.आर.जी. महा. ग्वाालियर।
19	श्रीमती उषा सोलंकी, शा.महा.ब्यावरा।	शा.महा.ब्यावरा।
20	श्री कैलाश नारायण पाण्डे, शा.महा. कालापीपल।(नियुक्ति आदेश अप्राप्त)	शा.महा.कालापीपल।
21	श्रीमती विद्या तिवारी, शा.महा.जावरा।	शा.महा.जावरा।
22	श्रीमती कनुप्रिया देवताले, शा.कन्या महा. उज्जैन।	शा.कन्या महा.उज्जैन।
23	श्रीमती भारती शुक्ला, शा.के.आर.जी.महा. ग्वालियर।	शा.के.आर.जी.महा. ग्वालियर।
24	श्रीमती शोभा श्रीवास्तव, शा.एस.एल.पी.महा. ग्वालियर।	शा.एस.एल.पी.महा. ग्वालियर।
25	श्री भावना भदौरिया, शा.हमीदिया महा. भोपाल।	शा.हमीदिया महा. भोपाल।
26	श्रीमती उषा त्रिपाठी(राजौरिया) शा.महा. निवाडी।	शा.महा.निवाडी।
27	श्रीमती प्रतिक्षा पाठक, शा.पी.जी.महा.धार।	शा.पी.जी.महा.धार।
28	श्रीमती इन्द्रा जैन, शा.पी.जी.महा.दमोह।	शा.पी.जी.महा.दमोह।
29	श्रीमती मीनाक्षी टेलर, शा.महा.बदनावर (धार)	शा.महा.बदनावर (धार)।
30	श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, शा.महा.नरसिंहगढ़।	शा.महा.नरसिंहगढ़।
31	कु. गीता सक्सेना, शा.महा. स्लीमनाबाद(जबलपुर)	शा.महा. स्लीमनाबाद।(जबलपुर)

2/ संबंधित आपाती अचयनित सहायक प्राध्यापकों की उनके शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं नियुक्ति के सबंध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/जानकारी त्रुटिपूर्ण होने, संदेहास्पद पाये जाने पर नियमितीकरण/नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

3/ नियमितीकरण के दिनांक के पूर्व उच्च शिक्षा विभाग में बिना व्यवधान की सेवा गणना मात्र पेंशन प्रयोजन के लिए की जाएगी।

4/ इनकी पारस्परिक सेवा वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपालके नाम से तथा आदेशानुसार

(होशियार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रं./एफ–1 Ro3 2003/अडतीस–1 भोपाल, दिनांक 19.12.03

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, सतपुडा भवन भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. सयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/इन्दौर संभाग।
6. अतिरिक्त संचालक, राजपत्रित शाखा–5
7. संबंधित क्षेत्रीय अति.संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।
8. संबंधित प्राचार्य शा.स्नातक/स्नातकोत्तर/कन्या महाविद्यानलय म.प्र.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित अधिकारी।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स्थापना शाखा
आ. का. हेतु

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय: [illegible]

First Round

क्रमांक: 1552/[illegible]/16   दिनांक: 16/09/2016

प्रति,

नाम : डॉ. अंजू सिंह

पिता/पति : श्री राम सिंह

पता : 409 साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर म.प्र.

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना : प्रथम चरण।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक 209205 दिनांक 16/09/2016

विषयान्तर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में .... विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति प्राप्त हुई है। अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2016-17 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45-55 मिनट के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए **275/-** तथा एक कार्य दिवस हेतु अधिकतम मानदेय रुपए **875/-** देय होगा। एक कार्यदिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
3. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुन: सत्यापन कराना होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक **15 से 17 सितम्बर, 2016 सांय 05:00 बजे** तक महाविद्यालय में उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वत: निरस्त हो जावेगा।

विशेष-टीप: प्रथम चरण आवंटन में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण के लिए महाविद्यालयों का विकल्प दिनांक **19 सितम्बर 2016 से 21 सितम्बर, 2016** तक प्रस्तुत किया जावेगा।

(हस्ताक्षर) 16/9/2016

प्रभारी प्राचार्य / सचिव

जनभागीदारी समिति

[illegible] महिला महाविद्यालय, [illegible]

पृ० क्रमांक 1553/[illegible]/16   दिनांक: 16/9/16

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ... संभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति

— Sd —

सचिव

जनभागीदारी समिति

[illegible]

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

शासकीय महाविद्यालय शास० जगन्नाथ मुन्ना लाल चौधरी महिला

दिनांक 06/02/2020

क्रमांक 107/स्था/20 महा० मण्डला

प्रति,

नाम डॉ. प्रदीप कुमार सोनी

पिता/पति श्री कमला प्रसाद सोनी

पता पोस्ट अवई तह० मुआ बिछिया जिला-मण्डला म०प्र०-481996

विषयः अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया 2019

संदर्भः आपका आवेदन क्रमांक 110205 दिनांक 06/02/2020

—00—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको शासकीय JMC महाविद्यालय Mandla में अर्थशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेजे आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात् 30 जून 2020 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक .... तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

सचिव,
जनभागीदारी समिति,

निरंतर ..2..

Principal 6/2/2020
Govt.J.M.C.Snatak Mahila
Mahavidyalaya,Mandla(M.P.)

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय: शास. ज. मु. चौ. महिला महाविद्यालय ...

दिनांक: 14/10/2017

क्रमांक 481/A-1

प्रति,

नाम: RUPESH BHADE

पिता / पति: RAMRAO

पता: WARD No. 2 JUNNARDEO

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना: प्रथम चरण।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक 1085[4/31]47 दिनांक 14/10/2017

----0----

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में English विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मी. से 55 मी. के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए 275/- तथा एक कार्यदिवस हेतु अधिकतम 825/- देय होगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक **05** से **09** सितम्बर, 2017 (सायं 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करना होगा।
8. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 8 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण-प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्यधीन है।

सचिव
जनभागीदारी समिति
14.10.17.
प्रभारी प्राचार्य

पृ. क्रमांक 481 A-2

दिनांक : 14.10.17

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ... संभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति

सचिव
जनभागीदारी समिति
14.10.17.
प्रभारी प्राचार्य